



नगर निगम अजमेर

नये सीवर सम्बन्ध हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र मूल्य = 100/-
व्यवसायिक/औद्योगिक सम्बन्ध हेतु

(आवेदन द्वारा भरने हेतु, जो लागू हो उस खाने में (✓) करे अन्य खाने में (X) करें)

1. आवेदक का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहां सीवर संबंध लेना है
 4. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर
 5. भवन का निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर
 6. भवन / स्थान की श्रेणी निजी आवास/राजकीय आवासगृह / कार्यालय / दुकान / अन्य
 7. आवेदक की स्थिति : मालिक / किरायेदार / कब्जेदार
- क. आवेदक का स्थायी पता
- ख. आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता
9. सीवर संबंध का प्रयोजन : घरेलू/व्यावसायिक/औद्योगिक जगह 10. प्रकार स्थाई / अस्थायी
 11. सीवरी संबंध की साइज 100 एम.एम. 150 एम.एम.
 12. जल संबंध की खाता संख्या

मैं सीवरेज नियमों के संबंध में समय-समय पर प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही हैं -

(1) जल संबंध का गत माह का बिल

अन्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां पर सीवर संबंध लिया जा रहा है उस परिसर का जल संबंध स्वयं के नाम ही है।

सीवर संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना :

1. आपका सीवर जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी के बिल में सीवर टैक्स वसूली की राशि अंकित ना हो तो सीवर संबंध की सूचना की पर्ची लेकर, संबंधित सहायक अभियंता में सम्पर्क करें।
2. आपके यहां लगे मेनहोल की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. यदि आपका बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की राशि प्राप्त करें।
4. बिल संबंधी शिकायत होने पर सहायक अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें। वहां पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है
5. सीवर लाइन में सीवर कनेक्शन के तरह यदि मैन हॉल अथवा सीवर लाइन टूट फूट होगी तो उसको सही अपने खर्च पर कराऊंगा अन्यथा निगम द्वारा सही करने पर नियम द्वारा जारी किये गये डिमांड के अनुसार निगम कोष में जमा कराऊंगा।
6. सीवर कनेक्शन का स्टॉपलाइन पर रोकना उचित होगा। घर का समस्त पानी निकासी जैसे रसोई, बाथरूम व लैट्रिन का कनेक्शन सीवर में करें।
7. सीवर कनेक्शन रजिस्टर्ड एवं अधिकृत ठेकेदार द्वारा ही कराया जावे।

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी निर्देश एवं सूचना पढ़कर हस्ताक्षर किये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वच्छ अजमेर सुन्दर अजमेर

घोषण पत्र

मैं पुत्र/पत्नि श्री

निवासी

- अजमेर का हूँ शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त निवास स्थान का मैं स्वयं मालिक हूँ। यह कि मैं आपके कार्यालय द्वारा एक सीवर कनेक्शन उक्त प्लॉट में करवाना चाहता/चाहती हूँ। इस आवेदन को प्रस्तुत किया जा रहा है :-
1. यह कि सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेनहोल अथवा सीवर या लाईन में टूट-फूट होगी तो उसको आपने स्वयं के खर्च से सही करवाऊंगा / करवाऊंगी, या निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी किये गये डिमाण्ड के अनुसार निगम के कोष में राशि जमा कराऊंगा/कराऊंगी।
 2. यह कि घर का समस्त पानी निकास, जैसे रसोई, स्नानघर, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रेप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर सरकार मेन होल से मिलान कर डिस्पोजल किया जावेगा।
 3. यह कि आवेदन प्रपत्र में क्रम संख्या 1-7 के नियम का पालन करूंगा/ करूंगी इसके अतिरिक्त भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स संबंध में जो भी नियम/निर्देश होंगे मेरे द्वारा पालन किये जायेंगे।
 4. यह कि मैं सीवर कनेक्शन में सहभागिता लागू होने व जमा नहीं करायी गई होने पर निर्देशानुसार कनेक्शन स्वीकृति के साथ जमा कराने हेतु सहमत हूँ।
 5. यह कि सीवर कनेक्शन की राशि जमा कराने के उपरान्त 15 दिवस के रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा सीवर कनेक्शन फिटिंग पूर्ण कराने का विहित प्रमाण पत्र कार्यालय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है व इसमें मेरे द्वारा अण्डरटेकिंग की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता